



उत्तरांचल UTTARANCHAL

ग्राह्य- 26
(नियम-4 देखिये)

00AA 335211

शपथकर्ता :- विनेश चन्द्रसिंह उम्र वर्ष पुत्र पैमासिंह
ग्राम कोठलगाँव पोठ ताल्ले पो-सुपत हसील सख्त,
जिला - मन्सौर

नोट :- शपथी प्रतप सेलान



Handwritten signature

49 सल

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तारखण्ड

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

में दिलीप चन्द सिंह

पुत्र/पुत्री/पत्नी

प्रेम सिंह

आयु 28 वर्ष, जो ग्राम-कोठलगाव, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं

(7)



(Handwritten signature)

- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य..... नही
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... नही
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे..... नही
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है..... नही

स्थान: राजिस्केट
 तारीख: 11/01/2012



 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन




मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की सत्यता मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

राजिस्केट..... स्थान पर आज तारीख 11/01/2012 को सत्यापित किया।


 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

Solemnly Affirmed before me
 the Deponent Shri. Deepthi Chandra Prasad
 Son of Bem Singh Rao of Nilakathulgaon, P.O. Talayon Bhanakhal
 District Raichur
 for the contents of this Affidavit are
 true with him read & explained to
 the Deponent who stated that he
 Shri. L. M. Lakshmi dated on 11/1/12
 at Raichur.


Y. C. JOSHI
 Notary Public
 11/1/12

